

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – रोगी कल्याण समिति

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – रोगी कल्याण समिति

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – 1.23 (PART-B)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राज्य के सभी स्तर के अस्पतालों यथा- सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराये जा रहे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है।

रोगी कल्याण समिति के गठन में शामिल पदेन एवं नामित सभी सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है-

1. सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	सिविल सर्जन	अध्यक्ष
2.	नगर निगम / नगर पर्वद / नगर पालिका के अध्यक्ष	सदस्य
3.	जिला परिषद के द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
8.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
9.	उपाधीक्षक	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	जिला आई. एम. ए. के अध्यक्ष	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत उस क्षेत्र के एम.एन.जी.ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य

12. जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

सदस्य

2. अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम:-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	अनुमंडलीय पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	अधिसूचित क्षेत्र/नगरपालिका के अध्यक्ष	सदस्य
8.	अधिसूचित क्षेत्र/नगरपालिका के नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
9.	अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	अनुमंडलीय स्तर पर पी.एच.सी. के सदस्य	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

3. रेफरल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	अनुमंडलीय पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य

5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	अधिसूचित क्षेत्र/नगरपालिका के अध्यक्ष	सदस्य
8.	अधिसूचित क्षेत्र/नगरपालिका के नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
9.	अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	अनुमंडलीय स्तर पर पी.एच.सी. के सदस्य	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रखंड प्रमुख	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
8.	अस्पताल के दूसरे वरिष्ठतम चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
9.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

निबंधित रोगी कल्याण समितियों को राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से वर्ष में एक बार Seed Money के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिससे कि दिशा-निर्देश के अनुरूप अस्पताल में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने में इसका उपयोग किया जा सके ।

रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत आने वाले सभी क्रियाकलापों का क्रियान्वचन अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सभी सदस्यों के द्वारा किया जाना है । सफलतापूर्वक इसके क्रियान्वयन से जिला स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के सभी मरीजों को अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं को मुहैया कराया जा सकता है, साथ ही अस्पताल की बुनियादी व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा सकता है ।

इसके परिणामों के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक महिने अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति की अध्यक्षता में बैठक करने हेतु नियमावली में उल्लेखित है, जिससे की रोगी को मिलने वाली सुविधा एवं होने वाले असुविधा का मूल्यांकन किया जा सके । साथ ही यदि अस्पताल की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करना हो तो बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके ।

इकाई राशि (रु० लाख में) -

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	एक इकाई को आवंटित की जाने वाली राशि
1	सदर अस्पताल	रुपये - 5,00,000/-
2	अनुमंडलीय अस्पताल	रुपये - 5,00,000/-
3	रेफरल अस्पताल	रुपये - 1,00,000/-
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रुपये - 1,00,000/-
एक इकाई को प्रति वर्ष आवंटित की जाने वाली राशि		

वित्तीय दिशा निर्देशन -

रोगी कल्याण समिति को प्रति वर्ष उक्त दर से राशि Seed Money के रूप में आवंटित की जानी है। इसे खर्च करने हेतु रोगी कल्याण समिति को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। जो निम्न प्रकार है -

रोगी कल्याण समिति के वित्तीय अधिकार

क्रमांक संख्या	रोगी कल्याण समिति का स्तर	व्यय का प्रकार	वित्तीय क्षमता (व्यय करने की सुविधितम सीमा)	निविदा प्रक्रिया	राशि निर्गत करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	चेक पर हस्ताक्षर करने एवं राशि निग करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	
						1	2
1.	जिला रोगी कल्याण समिति	(क) अस्पताल संबंधित सफाई, बागवानी, कपड़ा, धुलाई, कैंटिन, जेनरेटर, सेवा में, भाड़े पर एम्बुलेन्स करने प्राप्त करने जैसी संवाओं को बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम पदा०
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 2,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iv) 2,00,000/- से 5,00,000/- तक	iv) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) रोगी कल्याण समिति	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		(ख) अस्पताल की मरम्मती, पुधारे, बिजली से संबंधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डचेन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होगे।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम पदा०
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 3,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 3,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		(ग) अनुबंध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर, नर्स, आंगनबाड़ी सेविका में, कम्पाउन्डर, अन्य तकनीकी पारा मेडिको को छोड़कर) की सेवाएँ (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर होने वाले व्यय। उपयुक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेन्स हेतु गाड़ियों ड्राईवर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।	i) श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम परिशिष्टित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के आधार पर।	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			(घ) एम्बुलेन्स एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मती, अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मती, अस्पताल के विस्तर	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक
		ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक		ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असीनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक

	अथवा अन्य फर्नीचरों एवं हार्डवेयर की मरम्मती।	iii) 1,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
	(इ) छपाई जैसे अस्पताल हेतु रजिस्टर, मरीजों के लिए पूर्ण, आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
	(घ) विज्ञापनों पर होने वाले व्यय, टेकेदारों को अग्रिम, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लौटाना, अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षणों अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय, ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,50,000/- तक	i) बिल के आधार पर ii) वास्तविक बिल के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
	(ङ) अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) रोगी कल्याण समिति	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
2.	अनुमण्डलीय अस्पताल / रेफरल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम प्रोचि0पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10
	(ख) अस्पताल की मरम्मती, पुचारे, बिजली से संबंधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डचेन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होंगे।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम प्रोचि0पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10
	(ग) अनुबंध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर, नर्स, आंगनबाड़ी सेविका में, कम्पाउन्डर, अन्य तकनीकी पारा मेडिको को छोड़कर) की सेवाएँ (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर होने वाले व्यय। उपर्युक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेन्स हेतु गाड़ियों ड्राइवर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।	i) श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित न्युन्तम परितोशित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के आधार पर।	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10

(घ) एम्बुलेन्स एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मती, अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मती, अस्पताल के बिस्तर अथवा अन्य फर्नीचरों एवं हार्डवेयर की मरम्मती।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
	ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10
	iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10
(ङ) छपाई जैसे अस्पताल हेतु रजिस्टर, मरीजों के लिए पूर्ण, आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
	ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10
(च) विज्ञापनों पर होने वाले व्यय, ठेकेदारों को अग्रिम, बिजली बिल, टेलीफोन, बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लौटाना, अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षणों अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय, ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक	i) वास्तविक बिल के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
	ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) वास्तविक बिल के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10
(छ) अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
	ii) 5,000/- से 50,000/- तक	ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	ii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्र0चि0पदा10	उपाधीक्षक / प्र0चि0पदा10

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक-3340-SHSB/Admin./09/05, दिनांक 07.05.2007

(ख) पत्रांक SHSB/09/Admin./05-4520, दिनांक 11.10.2007

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी में संशोधन संबंधी पत्र -

(क) SHSB/IEC/23/05-4833, दिनांक 14.12.2007

(ख) ED Cell / 378, दिनांक 02.06.2008

(ग) पत्रांक SHSB/Admin./09/05-IIInd -8070, दिनांक 30.10.2008

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम - डॉ0 अतुल कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं0 - 9470003022

रोगी कल्याण समिति के वित्तीय अधिकार

क्रमांक संख्या	रोगी कल्याण समिति का स्तर	व्यय का प्रकार	वित्तीय क्षमता एक बार में व्यय करने की अधिकतम सीमा	निविदा प्रक्रिया	राशि निर्गत करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	चेक पर हस्ताक्षर करने एवं राशि निर्गत करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	
						1	2
1	जिला रोगी कल्याण समिति	(क) अस्पताल संबंधित सफाई, ब्रागवानी, कपड़ा, धुलाई, कैंटिन, जेनरेटर, सेवा में भाड़े पर एम्बुलेंस करने प्राप्त करने जैसी सेवाओं को बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 2,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) जिला पदाधिकारी	जिला पदा10	सिविल सर्जन
			iv) 2,00,000/- से 5,00,000/- तक	iv) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा10	सिविल सर्जन
		(ख) अस्पताल की मरम्मती, पुछारे, बिजली से संबंधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डचैन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होंगे।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 3,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) जिला पदाधिकारी	जिला पदा10	सिविल सर्जन
			iii) 3,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा10	सिविल सर्जन
		(ग) अनुबंध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर नर्स, आंगनवाड़ी सेविका में कम्पाउण्डर अन्य तकनीकी पारा मेडिको को छोड़कर) की सेवाएँ (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर होने वाले व्यय। उपयुक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेंस हेतु गाड़ियों हाईवेर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।	i) श्रम विभाग, विहार सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम परितोशित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के आधार पर।	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा10	सिविल सर्जन
			i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा10	सिविल सर्जन
	(घ) एम्बुलेंस एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मती, अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मती, अस्पताल के बिस्तर अथवा अन्य फर्नीचरों एवं हाईवेयर की मरम्मती।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10	
		ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक	
		iii) 1,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा10	सिविल सर्जन	

Handwritten signature or mark.

	(ड) उपाई जैसे अस्पताल हेतु रजिस्टर, मरीजों के लिए पुर्ज, आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) अरसनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) जिला पदाधिकारी	जिला पदा०	सिविल सर्जन
	(घ) विज्ञापनो पर होने वाले व्यय, टेकेंगरी को अग्रिम, विजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लांटाना, अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षणों अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय, ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक	i) बिल के आधार पर	i) अरसनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		ii) 15,000/- से 1,50,000/- तक	ii) वास्तविक बिल के आधार पर	ii) जिला पदाधिकारी	जिला पदा०	सिविल सर्जन
	(उ) अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) अरसनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		ii) 15,000/- से ऊपर 1,00,000/- तक	ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	ii) रोगी कल्याण समिति	जिला पदा०	सिविल सर्जन
अनुमण्डलीय अस्पताल / रंफरल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति	(क) अस्पताल संबधित सफाई, बागवानी, कपडा, धुलाई, कन्टिन, जेनरेटर, सेया में भाडे पर एम्बुलेन्स करने प्राप्त करने जैसी संवाओं को बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
		ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
		iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
	(ख) अस्पताल की मरम्मती, पुघारे, विजली से संबधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डरेन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होंगे।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
		ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
		iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
	(ग) अनुबन्ध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर, नर्स, आंगनवाडी सेविका में, कम्पाउण्डर, अन्य तकनीकी पारा मेडिको का छोड़कर) का संवायें (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर होने वाले व्यय। उपयुक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेन्स हेतु गाड़ियों ड्राइवर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।	i) श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित न्युनतम परितोशित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सकूलर के आधार पर।	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०

51

46

(घ) एम्बुलेंस एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मत अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मत अस्पताल के बिस्तर अथवा अन्य फर्नीचर एवं हाईवेयर की मरम्मत।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
	ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
	iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	iii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
(ङ) छपाई जरा अस्पताल हेतु रजिस्टर मरीजों के लिए पूर्ण आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
	ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
(च) विज्ञापनों पर होने वाले व्यय ठेकेदारों को अग्रिम बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लौटाना अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षण अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक	i) वास्तविक बिल के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
	ii) 15,000/- से 50,000/- तक	ii) वास्तविक बिल के आधार पर	ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०
(छ) अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०	संबंधित अस्पताल पदस्थापित वरीयतम चि पदा०
	ii) 5,000/- से 50,000/- तक	ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	ii) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	उपाधीक्षक / प्रोचि०पदा०

[Handwritten signature]